कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-304/2023 दिनांक-21.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- (कोतवाली)

कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत हाफिजपुर में हत्या की घटना का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 19.09.2023 को वादिनी मुकमदा दुर्गावती देवी पत्नी स्व0 अमरजीत प्रजापति निवासी हाफिजपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी का लडका विशाल प्रजापति दारू पीकर स्वयं के पिता अमरजीत से झगडा किया तथा नसे में गला दबाकर अपने पिता अमरजीत को मार दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 538/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 21.9.23 को प्र0नि0 राजकुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल प्रजापति पुत्र स्व0 अमरजीत प्रजापति निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को हाफिजपुर चौराहे से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्त ने बताया कि मै शराब पीनें का आदी हूँ दिनांक 19/09/2023 को दोपहर मे मैनें दारू पी रखी थी जिस बात को लेकर मेरे पिता से काफी बहस हो गयी और गुस्से में मैनें अपनें पिता की गला दबाकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- विशाल प्रजापति पुत्र स्व0 अमरजीत प्रजापति निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 538/23 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

प्र0नि0 राजकुमार सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ।
हे0कां0 विनीत कुमार दूबे,
कां0 पंकज सिंह,
म0कां0 अर्चना पाण्डेय, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ।

थाना देवगाँव

किशोरी को भागने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.06.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की नाबालिग लडकी को अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र फौजदार ग्राम सुल्तानपुर थाना केराकत जिला जौनपुर बहला- फुसलाकर भगा ले गया है। आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2023 धारा 363/366/506 भा0द0वि0 बनाम पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विनय यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21.09.2023 को उ0नि0 विनय यादव मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशिष कुमार पुत्र हवलदार निवासी ग्राम सुल्तानपुर,थाना केराकत जनपद जौनपुर को मोलनापुर ओवर ब्रिज से समय करीब 05.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 258/2023 धारा 376,363,366,506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- आशीष कुमार पुत्र हवलदार निवासी ग्राम सुल्तानपुर,थाना केराकत,जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनय यादव थाना देवगांव आजमगढ़
2. का0 नन्दलाल कुशवाहा थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 विनोद कुमार थाना देवगांव आजमगढ़

थाना देवगाँव

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.04.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की नाबालिग लडकी को अर्जुन सरोज पुत्र सुबाष सरोज निवासी भुड़की थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा अभियुक्त के घर पूछने पर अभियुक्त के घर वालो द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 175/2023 धारा 363,366,504,506 भा.द.वि. पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विनय यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 21.09.2023 को उ0नि0 विनय यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन सरोज पुत्र सुबाष सरोज निवासी भुड़की थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को कंजहित बाजार से समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 175/2023 धारा 376,363,366,504,506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तः- अर्जुन सरोज पुत्र सुबाष सरोज निवासी भुड़की थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1. उ0नि0 विनय यादव मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

थाना- महराजगंज

सरदहा बाजार में घटित घटना में नामजद 02 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक-20.09.2023 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत सरदहा बाजार में घटित घटना में वादी मो0 आरिफ पुत्र स्व0 अब्दुल राशिद निवासी सरदहा बाजार थाना महराजगंज आजमगढ़ से तहरीर लेकर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 296/23 धारा-147 / 148 / 149 / 302/ 427 / 436 / 504 / 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1-पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 23 वर्ष, 2-पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 25 वर्ष, 3-प्रदीप गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 22 वर्ष, 4- दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, 5-निर्मला पत्नी दिनेश गुप्ता उम्र 48 वर्ष निवासीगण-सरदहां बाजार मेउडिया, थाना- महाराजगंज, आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ एसपी सिटी के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में ......

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 21.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तो दिनेश गुप्ता व उसकी पत्नी निर्मला को अभियुक्त के घर ग्राम गौरडीह खालसा थाना सिधारी आजमगढ़ से समय करीब 11.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तो का चालान नियमानुसार मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 147/148/149/302/427/436/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

आपराधिक इतिहास-

दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान साव

1. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 147/148/149/302/427/436/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
2. मु0अ0सं0 68/2023 धारा 323/324/504/506/452 भादवि थाना महराजगंज आजमगढ़

निर्मला देवी पत्नी दिनेश गुप्ता

1. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 147/148/149/302/427/436/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता–

1. अभियुक्त दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान साव निवासी सरदहा बाजार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी दिनेश गुप्ता निवासिनी सरदहा बाजार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 02 मोबाइल सैमसंग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़